मनिष कुमार आदि बनाम ताराचन्द वगैरह

ना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 41/2019

दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
5.2019	आज यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़ एडवोकेट ने विरूद्व अनावेदकगण बाबत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घोड़ीवारा कलां पटवार हल्का माण्डासी में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 456 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 457 रकबा 3.86 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.94 है. में आवेदकगण के द्वारा बनाये गये पशु मवेशियों को बांधने, चारा रखने व कृषि औजार व अनाज आदि रखने के ढारों में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नही करें, ओर आवेदकगण के हिस्से पर किसी प्रकार से कब्जा नही करें तथा आवेदकगण के पिता से नाजायज रूप से किसी प्रकार का हस्तान्तरण डीड अपने पक्ष में तस्दीक नही करवायें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ओर न ही अन्य किसी नौकर–चाकर आदि से करवायें। विवादित भूमि के संबंध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदकगण वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृस्टया आवेदकगण वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को रिकॉर्ड की एवं उभय पक्ष को मौके हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम घोड़ीवारा कलां पटवार हल्का माण्डासी में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 456 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 457 रकबा 3.86 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.94 में आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अनावेदकगण को नोटिस रजिस्टर्ड एडी द्वारा जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 24.6.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

[illegible] पेश 3/1 आडेकरण का कई [illegible] जाने से [illegible] पत्रावली का कोई [illegible] नहीं है [illegible] 100 खाते किल जाते है पत्रावली [illegible] तथा [illegible] तारीख [illegible] 24.6.19 को [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़